~ विज्ञापन ~

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

प्रकाशन की तिथि	विज्ञापन क्रमांक 08/2008/चयन/दिनांक	आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि
04/06/2008	29/05/2008	11/07/2008

(5) उच्चतम आयु सीमा में छुटेः-

(5) (एक) (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(5) (एक) (2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-26-93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(5) (एक) (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी । इस कंडिका में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अन्य कोई छूट प्राप्त नहीं होगी अर्थात् शासकीय कर्मचारियों का छूट के पश्चात् आयु सीमा 38 वर्ष ही रहेगी ।

(5) (एक) (4) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरुप आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरणः- 'छटनी किये गये सरकारी सेवक' से तात्पर्य है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(5) (एक) (5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त

प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(5) (एक) (6) महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार ।

(5) (एक) (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-1-2-/2002/1/3 दिनांक 2.6.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनु. जन. जाति., अ.पि.व., विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

(5) (एक) (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सींमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(5) (एक) (9)विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी ।

(5) (एक) (10) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(5) (एक) (11) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक -सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(5) (एक) (12) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(5)(एक) (13) छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अधिसूचना दिनांक 26.04.2008 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में अनुसूची तीन के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (6) में किये गये संशोधन अनुसारः- शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत या कार्य करने के अनुभव प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों को, कॉलम (4) में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में, एक बार के लिए, पाँच वर्ष की छूट प्राप्त होगी । तत्पश्चात यह प्रावधान समाप्त हो

जावेगा।

टीप :- आयु की गणना दिनांक - 01.01.2009 हैं । अतः उक्त दिनांक को अभ्यर्थी आयु में छूट संबंधी पात्रता अवश्य प्राप्त कर लिया हो तभी उन्हें आयु में छूट का लाभ प्राप्त होगा ।

6. आवेदन - पत्र भरने के संबंध में निर्देश/जानकारी -

आवेदन - पत्र चार प्रपत्रों में सन्निहित है -

6. (1) प्रपत्र एक - आवेदन पत्र

6. (2) प्रपत्र दो - आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों, अंक-सूचियों, उपाधि/पत्रोपाधि तथा अन्य दस्तावेजों की जानकारी का उल्लेख प्रपत्र दो में करें।

6. (3) प्रपत्र तीन - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारुप ।

6. (4) प्रपत्र चार - अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारुप आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलग्न करें।

6.(5) प्रपत्र पांच आवेदकों के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

6.(6) आवेदन-पत्र का प्रपत्र एक,दो सभी आवेदकों द्वारा भरा जाना है। प्रपत्र तीन में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना है। प्रपत्र चार अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना है । प्रपत्र पांच आवेदकों को अनुभव प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना है । अन्य किसी भी प्रपत्र में दिया गया जाति प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा ।

7. आवेदन शुल्कः-

7. (अ) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, के लिये जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर रु. 200/- शेष सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये रु.300/- आवेदन शुल्क देय होगा।

7. (ब) आवेदक स्टेट बैंक आँफ इंडिया के किसी भी शाखा से परीक्षा शुल्क का डी.डी. सचिव, छ.ग.लो.से.आ. के नाम जो स्टेट बैंक आँफ इंडिया शाखा क्र.7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर में देय हो बनवाकर भेजेगा । डी.डी के पीछे आवेदक अपना नाम, पता एवं आवेदन क्रमांक अवश्य लिखें । रायपुर शहर के आवेदकों से बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर बैंकर्स चेक भी स्वीकार किया जा सकेगा ।

8. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करनाः-

8. (क) आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर, द्वारा प्रकाशित ‘‘रोजगार और नियोजन ’’ में इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एक एवं प्रपत्र दो में मूलरुप में प्रयोग कर सुस्पष्ट रुप में भरा जाना चाहिए । टंकित एवं हस्त लिखित आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा ।

8. (ख) जो आवेदन-पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जावेगा ।

8. (ग) आवेदन पत्र का प्रारुप एवं अन्य जानकारी आयोग के वेबसाईट (www.cgpsc.in) से भी प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र का प्रारुप डाउन लोड कर ए-4 साईज पेपर में ही प्राप्त करें ।

8. (घ) आवेदन-पत्र भेजने का पताः-
सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)
पिन कोड 492001.

टीपः- प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा । अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क नहीं लौटाये जायेंगे ।

9. आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने अथवा मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी ।

10. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजी जानी चाहिये । इनके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा ।

10. (अ) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र ।

10. (ब) शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण, यथा-उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि। उम्मीदवार संबंधित पद का वांछित अर्हता/अनुभव आयोग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया हो। बाद के अर्हता/अनुभव को मान्य नहीं किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा जारी किया गया हो जिसमें अनुभव अवधि तथा जारी दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो।
10. (स) हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी सार्वजनिक परीक्षाओं की, जिन्हें आवेदक ने उर्तीण किया है, समस्त वर्षो/समेस्टर की अंकसूचियां ।

10. (द) अनुसूचित जनजाति के आवेदक इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र-तीन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) का स्थायी प्रमाण-पत्र। (यदि इस आधार पर कोई रियायत चाही गई हो।) अनिवार्य रूप से संलग्न करें । विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से छः माह के भीतर की अवधि का ही मान्य किया जाएगा। साक्षात्कार के समय छ.ग. राज्य का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी ।

10. (य) तदर्थ रुप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र सलंग्न करना आवश्यक है।

10. (र) उपरोक्त कंडिका - 5 एक (1), 5 एक (2), 5 एक (3), 5 एक (4), 5 एक (5),5 एक (7), 5 एक (8) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

10. (ल) कंडिका - 5 (एक) (9) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र ।

10. (व) कंडिका - 5 (एक) (10) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड ।

10. (श) कंडिका - 5 (एक) (11) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र ।

10. (ष) कंडिका-5 (एक) (12) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार,गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

10. (ण) कंडिका-5 (एक) (13) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्य प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत या कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र ।

10. (ड) आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट

11. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलो, राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सीधे आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति

प्रधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिये निवेदन भी कर देना चाहिए जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित साक्षात्कार के समय आयोग में प्रस्तुत करना होगा । तत्पश्चात् यदि आयोग को एक माह के भीतर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आयोग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है ।

12. चयन प्रक्रियाः-

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं, अनुभव न्यूनतम है और इन योग्यताओं/अनुभव के होने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बुलाना सुविधाजनक नहीं होगा तो आयोग शॉर्ट लिस्टिंग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं या अनुभव/उच्च योग्यताओं या अनुभव अथवा दोनों के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा का आयोजन कर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है । लिखित परीक्षा लेने पर उम्मीदवारों का चयन उक्त-परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा । लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की सूचना आवश्यकतानुसार बाद में आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जा सकेगी ।

13. (अ) ऐसे उम्मीदवार को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा । आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो ।

13. (अ) (एक) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

13. (अ) (दो) पररुप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

13. (अ) (तीन) किसी व्यक्ति से पररुप धारण कराया हो/किया हो, या

13. (अ) (चार) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमें फेरबदल किया हो, या

13. (अ) (पांच) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

13. (अ) (छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

13. (अ) (सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

13. (अ) (आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

13. (अ) (नौ) उनके प्रवेश-पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिन्हें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रुप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

13. (अ) (दस) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो ।

13. (अ) (ग्यारह) छ.ग.लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध

का उल्लंघन किया हो ।

14. उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

14. (क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

14. (ख) उसे या तो स्थायी रुप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-

14. (ख) (एक) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।

14. (ख) (दो) राज्य शासन द्वारा या/ उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

14. (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाई के परिणामस्वरुप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी, जब तक कि-

14. (ग) (एक) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

14. (ग) (दो) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।

15. पहचान चिन्ह -

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखे । उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके । उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामाग्री संलग्न करना भी वर्जित है । परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा लिखने के लिए केवल नीली अथवा काली स्याही का प्रयोग करेगा ।

उत्तर-पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा । पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी ।

16. यात्रा व्यय का भुगतानः-

16. (अ) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छ.ग.शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित

घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे प्रपत्र तीन अथवा चार जो भी लागू हो, में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा।

16. (ब) साक्षात्कार के लिये - साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार कंडिका 16 (अ) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

17. आवेदन पत्र का फार्म एवं अन्य बातें -

17. (अ)एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिये जायेगें। एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन - पत्र प्राप्त होने पर उनके सभी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

17. (ब) संख्या लिखने में अन्तराष्ट्रीय क्रमांक, यथा- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 का ही प्रयोग करें।

18. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देशः-

(अ) आवेदक अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकायें । फोटो पर आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक है ।

(ब) स्वयं के पता लिखे 5/- रु. का टिकिट लगा दो लिफाफे (12c.m. X 25c.m.) अवश्य भेजे । आवेदन-पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एक 6/- रुपये का डाक टिकट लगा पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें । जिस पर उन्हे आवेदन-पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जायेगी ।

(स) आवेदन-पत्र के लिफाफे पर ''विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम'' बड़े अक्षरों में लिखे तथा उसे रेखांकित करें । लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाई संभव नहीं होगी ।

19. भरे हुए आवेदन-पत्र **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर,** कार्यालय में अंतिम तिथि 11/07/2008 को सायं 5:30 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा । विलंब से आने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे । डाक द्वारा भेजे गये आवेदन-पत्र भी आवश्यक रुप से उक्त समयावधि में प्राप्त हो जावे । डाक के विलंब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा ।

20. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी-

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वे विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर,

आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा । गलत जाति प्रमाण-पत्र देने या आवेदन-पत्र में जाति संबंधी गलत कोड नंबर भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी आयोग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

(21) मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा, एवं आवेदक का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा । इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

सचिव

नोटः- छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंधित है ।

प्रपत्र – एक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के पद हेतु

"आवेदन पत्र"

विज्ञापन क्रमांक 08/2008/चयन/दिनांक 29/05/2008

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक

पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक (आयोग द्वारा भरा जाएगा)

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. केवल काली स्याही वाले बॉल पेन से भरें।
2. आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
3. आवेदन पत्र में समस्त जानकारियां सही भरें गलत, जानकारी भरने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
4. छत्तीसगढ़ के अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित माने जाएंगे (मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के आवेदक अनारक्षित श्रेणी के रूप में आवेदन करें।)
5. आवेदन शुल्क – बैंक ड्रॉफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा क्रं. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर पर ही देय (Payable) होना चाहिये।
6. आवेदक बॉक्स में उपयुक्त जानकारी ही भरें।

(1) विभाग

पद

(2) बैंक ड्रॉफ्ट क्र.

दिनांक

राशि

जारी करने वाले बैंक का नाम

(3) आवेदक का नामः– अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखे (सरनेम पहले लिखें) दो भागों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़ें।

(4) पिता/पति का नाम :–

(5) जन्म तिथि

दिनांक माह वर्ष

(6) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी

हां – Y
नहीं – N

(7)अ. श्रेणी – कोड नं.

अनारक्षित – 1

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों एवं आरक्षित वर्गों के लिए)

(7)ब. श्रेणी – कोड नं.

अ.जा. – 2
अ.ज.जा. – 3
अ.पि.व. – 4
(गैर क्रीमीलेयर)

(8) लिंग

पुरुष – M
महिला – F

(9) विकलांग

हां – Y
नहीं – N

(10) आवश्यक अनुभव प्राप्त है :–

(i) हां – Y
नहीं – N

(ii) अनुभव वर्ष

(11) आयु में छूट :–आवेदक आयु में छूट चाहता हो तो विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट का सही क्रमांक लिखें :– हां – Y
नहीं – N

छूट का क्रमांक | प्रमाण पत्र क्रमांक | छूट के पूर्व आयु (1.01.2009 की स्थिति में) | छूट के बाद आयु (1.01.2009 की स्थिति में)

(12) स्थायी पता :–

पिन :–

(13) वर्तमान पता जिस पर प्रवेश पत्र भेजा जाएगाः–

पिन :–

क्रमशः

(14) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :— क्रमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी/ग्रेड	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र क्रमांक
1	हाईस्कूल								
2	हायर सेकेण्डरी								
3	स्नातक								
4	स्नातकोत्तर								
5	अन्य								

(15) यदि आवेदक सेवारत हो या सेवारत रहे हो तो पूरा विवरण दें (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):–

पद का नाम	कार्यालय/संस्था का नाम	सेवा अवधि			यदि वर्तमान में सेवारत हैं तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	प्रमाण पत्र क्रं.
		कब से	कब तक	प्रमाण पत्र क्रं.		
					हां – Y नहीं – N ☐	

(16) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग का है तो, :– प्रमाण पत्र क्रमांक ☐

(17) क्या आवेदक कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया हटाया गया किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, या उसके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित है, यदि हां तो विवरण दें। क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित है?

(18) यदि आवेदक संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दे :–

घोषणा

स्वयं के हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो चिपकायें 4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने परीक्षा नियमों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है । मैं उक्त परीक्षा के लिये निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूं । जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई जानकारी परीक्षा से पहले या बाद में गलत पायी जाए या अपात्रता का पता चले तो आयोग मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

हिन्दी	अंग्रेजी

(अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र रद्द किया जायेगा)

स्थान :

दिनांक :

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

प्रपत्र – दो

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अंकसूची उपाधि/प्रमाण पत्र आदि की प्रतियों का विवरण :–

आवेदित पद का नाम .... आयोग का विज्ञापन क्रमांक ....

प्रमाण पत्र क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
(9)		
(10)		

....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम व पता

....

....

....

ऐसे उम्मीदवार जो छ.ग.शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हैं तो वे संबंधित प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे

प्रपत्र – तीन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये

स्थायी प्रमाण – पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ———————— जिला ———————— छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ———————— प्रमाण – पत्र क्रमांक ———————— प्रकरण क्रमांक ————

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कुमारी

पिता/पति का नाम ———————— निवासी ग्राम/नगर ————————

प.ह.नं. ———— तहसील ————जिला ———————— संभाग ————————

जाति/जनजाति का /की सदस्य है और इन जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ———————— जाति /जनजाति अनुसूचित एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक ————पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— पिता/पति का नाम ———————— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ————————
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ———————— है।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये

प्रपत्र – चार

स्थायी प्रमाण–पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ———————— जिला ———————— छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ———————— प्रकरण क्रमांक ————————

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ————————

आत्मज श्री ———————— निवासी ग्राम ————————

जिला संभाग ———————— छ.ग. के निवासी है जो ————————

जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ– 8 – 5/पच्चीस /4//84/दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री ———————— और / या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला ————————
संभाग ———————— में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ———————— क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नही आता है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची क्र. कालम –3 से तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप. क्रमांक एफ. 7–26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की सूची के कालम (3) में दिया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ———————— है।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक:
(सील)

प्रपत्र – पांच

शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत या कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र

क्रमांक /200 दिनांक :

अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. श्री/श्रीमति/कुमारी/.. पिता/पति का नाम .... निवास ग्राम/नगर .... तहसील .... जिला.. के है, जो कि दिनांक .... से दिनांक ....तक (कुल ....वर्ष ....माह) इस चिकित्सा संस्था में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किए हैं/कर रहे हैं ।

दिनांक : ....
स्थान : ....

हस्ताक्षर (मुहर)
प्राधिकृत अधिकारी
(चिकित्सा संस्थान का नाम)